

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 25 / 2014 / अलवर
2. अपील संख्या 1008 / 2014 / अलवर
3. अपील संख्या 1009 / 2014 / अलवर
4. अपील संख्या 1723 / 2014 / अलवर
5. अपील संख्या 1724 / 2014 / अलवर
6. अपील संख्या 1005 / 2015 / अलवर
7. अपील संख्या 175 / 2016 / अलवर
8. अपील संख्या 176 / 2016 / अलवर

मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा.लि., नीमराणा, अलवर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी, सी.ए.

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा, उप राज.अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(3) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	क.नि.वर्ष	अपी. अधि. का आ. दि.	क.नि.अ. का आ.दि.	अन्तर कर	ब्याज
25 / 2014	10-11	22.11.13	7.2.13	1,56,87,902	43,92,613
1008 / 2014	13-14	15.4.14	21.1.14	1,96,22,802	-
1009 / 2014	13-14	15.4.14	21.1.14	99,29,744	-
1723 / 2014	11-12	8.7.14	15.10.13	3,02,56,483	72,61,556
1724 / 2014	12-13	8.7.14	15.10.13	3,84,71,484	46,16,578
1005 / 2015	13-14	22.5.15	30.6.14	95,43,613	-
175 / 2016	14-15	17.11.15	22.12.14	1,84,39,597	-
176 / 2016	14-15	17.11.15	14.1.15	48,82,963	-

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जांच पर पाया कि उनके द्वारा आलौच्य अवधियों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (ओरेन्ज बाइट, फलटॉस ग्रीन मैंगों चटनी, चीजलिंग एमएसटी बाइट स्टीक्स आदि) की बिक्री 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना चाहिये। सशक्त अधिकारी द्वारा बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानते हुये इसे सामान्य कर दर अर्थात् 12.5/14 की दर से कर योग्य माना है तथा इसकी बिक्री पर अंतर कर एवं

2

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया है। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनका निस्तारण करते हुये अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारियों से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोड़ी गई तदनुरूप 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार बिक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार 4/5 प्रतिशत कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containing flavours, cream and colours को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। श्री माहेश्वरी, विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevudutta VK Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC-0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारियों के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषकगण ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 का हवाला दिया जिसमें मीठी गोली, जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फेक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषकगण ने अतिरिक्त आयुक्त का अधिनियम की धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज, कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषकगण ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना

दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि 174 जोड़ी गई तदनुरूप दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 4 प्रतिशत की कर दर विहित की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित कर दिया जो कि उक्त अधिसूचना के आलोक में विधिनुकूल नहीं है। अतः उन्होंने व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates "



222/

लगातार.....3

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से Confectionery के पूर्व में unbranded जोड़ा गया। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर आरोपित सामान्य कर दर एवं आरोपित ब्याज की पुष्टि की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से उन्होंने व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारियों द्वारा माल राज्य के भीतर बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?

7. सक्षम अधिकारीगण ने व्यवहारियों द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 4/5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित ब्राण्डेड उत्पाद की बिक्री होने से व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या "154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates " से बाहर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पाई गई है। अनब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 के अनुसार 4/5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है परन्तु इस अधिसूचना के प्रभाव से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी सामान्य कर दर से करयोग्य हो गई। अतः व्यवहारियों द्वारा की गई ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री होना सिद्ध होता है। सक्षम अधिकारीगण व अपीलीय अधिकारीगण द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारियों द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2008 से उपरोक्त वर्णित समस्त अधिसूचनाएं दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील है। अतः कर निर्धारण अधिकारीगण ने अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारियों के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में करारोपण किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा०लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय के पैरा संख्या 17 एवं 19 में सुस्थापित किया है कि :-

"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (supra), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assesses are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients and these are hardened sweet confectionery which are

22

लगातार.....4

prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (supra), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar. " तथा पैरा 19

"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सक्षम अधिकारीगण एवं अपीलीय अधिकारीगण के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

8. उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 17.2.2017 के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुये, व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है,

9. परिणामस्वरूप व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नित्यूराम)
सदस्य